संख्या : 89/छप्पन–14–4/09

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च 2014

विषय : नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ स्थित हैंगर संख्या–1 के सुदृढ़ीकरण कार्यों के अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 509/ना0उ0वि0/हैंगर नं0–1, दिनांक 06.8.2013, पत्र संख्या– 1047/ना0उ0वि0/हैंगर नं0–1, दिनांक 9.1.2014 एवं शासनादेश संख्या–1321/छप्पन–10– 4/09, दिनांक 18 जनवरी, 2011, शासनादेश संख्या–955/छप्पन–11–4/09, दिनांक 01 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या–107/छप्पन–12–4/09, दिनांक 29.2.2012, शासनादेश संख्या–1322/छप्पन–11–4/09, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011, दिनांक 29 फरवरी, 2012 एवं शासनादेश संख्या–276/छप्पन–12–4/09, दिनांक 05 मार्च, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त इंगित शासनादेश संख्या–107/छप्पन– 12–4/09, दिनांक 29 फरवरी, 2012 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट स्थित हैंगर संख्या–1 के सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु पुनरीक्षित आगणन रूपये 1543.75 लाख के सापेक्ष रूपये 1530.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–29, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को उक्त इंगित शासनादेशों द्वारा क्रमशः 236.95 लाख, 236.95 लाख, 88.85 लाख, 186.65 लाख एवं 623.00 लाख अर्थात कुल 1372.40 लाख का भुगतान कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था ने स्वीकृत धनराशि रूपये 1530.64 लाख के सापेक्ष रूपये 1520.17 लाख का कुल व्यय प्रायोजना पर किया है, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं आडिट एकाउण्ट भी प्रेषित किया है। व्यय की गयी धनराशि 1520.17 लाख के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 1372.40 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रूपये 147.77 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जाना है। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपलब्ध एक मुश्त बजट प्राविधान से अवशेष धनराशि रूपये 1,47,77,000/– (रूपये एक करोड़ सैंतालिस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान उपरोक्त इंगित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ कार्यदायी संस्था को किया जाय।

–––2

3— उक्त इंगित शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्व की भांति यथावत् लागू रहेंगे।

4— कार्यदायी संस्था को उक्त धनराशि का भुगतान करने के पश्चात कार्यदायी संस्था से धनराशि भुगतान का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शासन को भी सूचित करने का कष्ट करें।

5— उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखा शीर्षक–5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय– आयोजनागत–02–विमानपत्तन– 800– अन्य व्यय–20–हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण एवं भूमि अर्जन–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 89(1)/छप्पन–14–4/2009–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार–प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ

3— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4— परियोजना प्रबन्धक, इकाई–29, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

5— वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7 / नियोजन अनुभाग–4

6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।